'विद्यालयों के निर्माण व मरम्मत में गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता होगी'

मुख्यमंत्री भजनलाल ने शिक्षा पर बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर समीक्षा बैठक ली

जयपुर, 15 सितम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग से जुडी बजट घोषणाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने शैक्षिणक सेवाओं एवं सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के लिए त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विद्यालयों के निर्माण और मरम्मत कार्यों में गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और संबंधित विभाग जवाबदेही तय करें।

- **मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार कक्षाओं का निर्माण करायें तथा पेयजल-शौचालय व व्हीलचेयर जैसी सुविधाएं उपलब्ध करायें।**
- **उपमुख्यमंत्री प्रेमचन्द बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मुख्यमंत्री को ''हरियालो राजस्थान'' अभियान के तहत वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उपलब्धि का प्रमाण पत्र भेंट किया।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग से जुड़ी बजट घोषणाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ''हरियालो राजस्थान'' अभियान के तहत, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (लंदन) में दर्ज उपलब्धि का प्रमाण-पत्र मुख्यमंत्री को भेंट किया।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार कक्षाओं का निर्माण, पेयजल, शौचालय, व्हीलचेयर जैसी सुविधाएं प्राथमिकता से उपलब्ध करवाई जाएं। शर्मा ने विद्यालयों और महाविद्यालयों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की प्रभावी योजना तैयार करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कॉर्पोरेट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के संचालन के लिए मास्टर ट्रेनर की उपलब्धता सुनिश्चित करने और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए तथा फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल स्कीम को रोजगारोन्मुखी बनाते हुए, प्रशिक्षण केन्द्रों पर परीक्षा आयोजित करने पर भी बल दिया। उन्होंने भरतपुर के खेड़ली-गुर्जर में स्पोर्ट्स स्कूल की योजना पर भी चर्चा कर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ''हरियालो राजस्थान'' अभियान के तहत, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (लंदन) में दर्ज उपलब्धि का प्रमाण-पत्र मुख्यमंत्री को भेंट किया। बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित, शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

विधायकों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिवक्ता वीआर बाजवा और अधिवक्ता कपिल गुप्ता का कहना था कि प्रकरण में पहले एसओजी में राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया और फिर उसमें एफआर लगाते हुए प्रकरण को एसीबी में भेज दिया गया। प्रकरण केवल फोन रिकॉर्डिंग के आधार पर दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ताओं की फोन रिकॉर्डिंग से साबित है कि वे सिर्फ सामान्य गपशप ही कर रहे थे। विधायकों की खरीद-फरोख्त करने जैसी कोई बात रिकॉर्डिंग में नहीं है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि मामले में एसीबी ने अदालत में एफआर पेश कर दी है। ऐसे में प्रकरण को निस्तारित किया जाए।

गौरतलब है कि एसीबी ने मामला दर्ज किया था कि याचिकाकर्ताओं ने अन्य के सहयोग से राजस्थान विधानसभा के चुने हुए वर्तमान विधायकों को रुपए का लालच देकर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने और हाल ही के राज्यसभा चुनाव के मतदान में इन विधायकों को अपने मत के प्रयोग को रुपए देकर अनुचित तरीके से प्रभावित करने का आपराधिक कृत्य किया है। वहीं बाद में एसीबी ने विस्तृत जांच में बाद यह कहते हुए एफआर पेश कर दी थी कि आरोपियों के खिलाफ प्रकरण में कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं।

दाह संस्कार के बाद नदी में नहाने गये तीन युवकों की डूब कर मौत

जयपुर में रिंग रोड पर कल सड़क हादसे में मरे चार लोगों के दाह संस्कार के बाद यह दुर्घटना हुई

भीलवाड़ा, 15 सितम्बर (निसं)। जयपुर के रिंग रोड पर हुए सड़क हादसे में मारे गए फूलियाकलां के एक ही परिवार के चार लोगों की मौत की पीड़ा से गांव उबरा भी नहीं था कि एक और हादसा हो गया। चारों मृतकों के दाह संस्कार के बाद, केकड़ी रोड स्थित खारी नदी में नहाने के दौरान फूलिया कलां कस्बे के 6 लोग डूब गए, जिनमें तीन युवकों की मौत हो गई, जिससे फूलिया कलां सहित, मृतकों के गांव खेड़ा हेतम में मातम छा गया।

- **केकड़ी रोड पर खारी नदी में नहाते समय एक युवक बहने लगा। उसे बचाने के लिए एक-एक करके पाँच युवक नदी में कूदे। ग्रामीणों ने पाँचों को पानी से निकाल अस्पताल पहुँचाया, जहाँ दो को मृत घोषित किया गया। बाद में एसडीआरएफसी की टीम ने सर्च कर तीनों युवक का शव निकाला।**

घटना के अनुसार, दाह संस्कार के बाद नहाने के दौरान एक युवक पानी में बहने लगा। उसे बचाने के लिए एक-एक कर पांच युवक पानी में और कूद गए, लेकिन पानी के वेग में सभी छह युवक बह गए। बाद में ग्रामीणों ने पांच युवकों को पानी से निकाल कर फूलियाकलां स्थित राजकीय हास्पिटल पहुंचाया तथा एक युवक खेड़ा हेतम निवासी महेश शर्मा पानी में लापता हो गया। स्थानीय हॉस्पिटल में खेड़ा हेतम निवासी बरदीचंद माली और महेन्द्र माली को मृत घोषित कर दिया गया। कल्याणपुरा (केकड़ी) निवासी विजयप्रताप, खेड़ा हेतम निवासी राकेश माली तथा जीवराज माली को प्राथमिक उपचार के बाद बड़े अस्पताल में रैफर कर दिया गया। इन लोगों की हालत ठीक बताई जा रही है।

जिला कलेक्टर जसमीत संधू, जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह, विधायक लालाराम बैरवा भी मौके पहुंचे। लापता युवक महेश की तलाश के लिए भीलवाड़ा से एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई। टीम ने लगभग एक घंटे की तलाशी के बाद नदी से महेश का शव निकाल लिया।

दो दिन में दो दर्दनाक हादसों से क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। पानी में डूब कर मरे तीनों युवक निकटवर्ती खेड़ा हेतम गांव के हैं, उक्त गांव में मातम पसरा हुआ है। उधर दोनों हादसों को लेकर फूलिया कलां कस्बे के बाजार सोमवार को स्वैच्छिक रुप से बंद रहे। हादसों को लेकर क्षेत्र में चारों ओर शोक की लहर है। वहीं, दूसरी ओर आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। स्थानीय विधायक लालाराम बैरवा के आश्वासन के बाद मामला शांत हो पाया।

नेपाल की जैन ज़ैड अंतरिम प्र.मंत्री सुशीला कार्की से नाराज़

काठमांडू, 15 सितंबर। पड़ोसी देश नेपाल में प्रदर्शनों और आंदोलन के दौर में जो कुछ हुआ, वो सबने देखा। जब प्रदर्शन खत्म हुए तो यहां पर इन्हीं प्रदर्शनकारियों की चुनी हुई नेता के तौर पर सुशीला कार्की का नाम चुना गया। रविवार को उन्होंने जैसे ही प्रधानमंत्री का पद संभाला, शाम तक 'जैन-ज़ैड' प्रदर्शनकारी उनसे भी नाराज हो गए। कैबिनेट मंत्रियों के चुनाव को लेकर हुई ये नाराजगी यूं बढ़ गई कि बात कुर्सी से उतारने और इस्तीफा मांगने तक पहुंच गई।

- **जैन ज़ैड नेता कैबिनेट मंत्रियों के चयन को लेकर नाराज़ हैं**
- **जैन ज़ैड प्रदर्शनकारियों के एक लीडर, सदन गुरंग, जो दो दिन पहले कार्की के पैर छू रहे थे, इतने नाराज दिखे कि उन्होंने यहां तक कह दिया, कि जिसे पीएम की कुर्सी पर बिठाया है उसे उतार भी सकते हैं।**

नेपाल की राजनीति में इस वक्त बिल्कुल नया मोड़ आ गया है। नेपाल के युवा वर्ग ने विद्रोह और हिंसक प्रदर्शनों के बाद केपी ओली की सरकार हटाई और खुद ही नई अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को चुना। वैसे सुशीला कार्की 'जैन-ज़ैड' प्रदर्शनकारियों की ही नेता हैं, लेकिन अब ये लोग उनसे भी नाराज हो गए हैं। 'जैन-ज़ैड' प्रदर्शन के अगुवा रहे सुदन गुरुंग ने तो ये तक कह दिया कि कुर्सी पर बिठाकर उतार भी सकते हैं।

नेपाल के संगठन हामी नेपाल के नेता और आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाने वाले सुदन गुरंग अपने साथियों के साथ अंतरिम पीएम सुशीला कार्की के आवास के बाहर प्रदर्शन में भी पहुंचे। अब युवाओं में नाराजगी इस बात को लेकर है कि कार्की सरकार में शामिल हो रहे मंत्रियों में युवाओं की कमी है। जो सुदन गुरुंग दो दिन पहले तक सुशीला कार्की के पैर छू रहे थे, उन्होंने उनके खिलाफ कड़े शब्दों में कहा - 'जिसे पीएम की कुर्सी पर बिठाया है, उसे उतार भी सकते हैं'।

88 वर्षीय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिकारी ने याचिकाकर्ता को पत्र लिखकर जानकारी दी कि उसे 8.76 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान हो गया है और संबंधित बैंक को कोषागार के पक्ष में इस राशि का डीडी जमा कराने को कहा गया है। याचिका में कहा गया कि इस पत्र के आधार पर बैंक ने गत जनवरी माह से उसकी पेंशन का भुगतान रोक लिया। याचिका में कहा गया कि वह 88 साल की महिला है और पूरी तरह इस पेंशन पर आश्रित है। इसके अभाव में बीते करीब नौ माह से उसका जीवन यापन कठिन हो रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी तय कर चुका है कि यदि किसी रिटायर व्यक्ति को अतिरिक्त राशि का भुगतान भी हो गया है तो उसकी रिकवरी नहीं की जा सकती। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पेंशन रोकने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

वक्फ अमैंडमैंट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसलिए, कलेक्टर को दिए गए ऐसे अधिकारों वाली धारा स्थगित की जाती है।''

नए कानून के अनुसार, जिलाधिकारी को वक्फ संपत्ति के स्वामित्व से जुड़े विवादों में अंतिम निर्णायक बना दिया गया था। अधिनियम में कहा गया था: ''यदि जिलाधिकारी की रिपोर्ट में उल्लेख है कि संपत्ति (पूरी या आंशिक रूप से) विवादित है या सरकारी संपत्ति है, तो उस हिस्से को वक्फ के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विवाद का निपटारा न हो जाए।''

इस प्रावधान का मुस्लिम संगठनों ने विरोध करते हुए कहा था कि इससे वक्फ संपत्तियों पर अवैध दावों की बाढ़ आ जाएगी।

पीठ ने यह भी कहा कि किसी वक्फ बोर्ड में तीन से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए और केंद्रीय वक्फ परिषद में चार से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश गवई ने यह भी कहा कि कानून में जो प्रावधान था कि ''कोई व्यक्ति जिसने कम से कम पांच वर्षों तक इस्लाम का पालन किया हो, वही वक्फ घोषित कर सकता है,'' उसे भी स्थगित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, ''ऐसे किसी तंत्र के बिना यह प्रावधान मनमानी शक्ति के प्रयोग का कारण बन सकता है।''

कोर्ट ने यह भी कहा कि उसका रुख हमेशा यह मानकर चलता है कि कोई भी कानून संविधान के अनुकूल होता है, और किसी अधिनियम में हस्तक्षेप ''बहुत ही दुर्लभ मामलों में'' किया जाना चाहिए।

1995 के वक्फ कानून में संशोधन, जिसे अप्रैल में संसद ने पारित किया और राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई, के बाद देश भर में विरोध-प्रदर्शन हुए। मुस्लिम संगठनों ने इसे संविधान-विरोधी बताते हुए वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने साजिश करार दिया था। वहीं सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि कई वक्फ संपत्तियां भूमि विवादों और अतिक्रमण में फंसी हैं, और नया कानून इन्हें सुलझाने के लिए है।

वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी शामिल है। बोर्ड के सदस्य सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि बोर्ड द्वारा उठाए गए कई बिंदुओं को सुप्रीम कोर्ट ने ''बड़ी हद तक स्वीकार'' किया है। उन्होंने कहा, ''हमारा वक्फ बाय यूज़र वाला बिंदु स्वीकार कर लिया गया है। साथ ही, संरक्षित स्मारकों पर तीसरे पक्ष का दावा न हो - इस पर भी कोर्ट ने सहमति जताई है। पाँच साल की जो शर्त लगाई गई थी, वह भी हटा दी गई है। कुल मिलाकर, हमारे कई मुद्दों को स्वीकार किया गया है और हम इसे संतोषजनक मानते हैं।''

'बिहार के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुनवाई की तारीख 7 अक्टूबर तय की है, जिसमें बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया की वैधता पर बहस होगी। इससे पहले, कोर्ट ने 8 सितम्बर (सोमवार) को आदेश दिया था कि इस समय चल रही एसआईआर में, आधार कार्ड को बिहार के मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 12वें वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए।

कोर्ट का यह हस्तक्षेप तब आया, जब उसे ऐसी शिकायतें मिलीं कि चुनाव अधिकारी पहले के निर्देशों के बावजूद आधार को मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार कर रहे थे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं जॉयमाल्या बागची की बैंच ने चुनाव आयोग की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि भले ही आधार ''नागरिकता का प्रमाण नहीं'' हो सकता, लेकिन यह पहचान और निवास का ''वैध दस्तावेज'' है।

यह सुनवाई उन ''आशंकाओं और आरोपों'' के संदर्भ में हो रही है, जो ''विपक्षी दलों'' ने उठाए हैं कि प्रक्रिया के तहत असली मतदाताओं के नाम बिना उचित सत्यापन के हटा दिए जा रहे हैं।

विपक्ष का कहना है कि यह एसआईआर प्रक्रिया ''अनुचित सफाई अभियान'' है, क्योंकि नाम जोड़ने के लिए जिन 11 दस्तावेजों की जरूरत बताई गई है, उसमें आधार कार्ड शामिल नहीं था, जबकि यह अन्य दस्तावेजों की अपेक्षा आम नागरिकों के पास सामान्यत: होता ही है।

चुनाव आयोग ने ''18 अगस्त'' को उन 65 लाख लोगों के नामों की सूची जारी कर दी थी, जो एसआईआर प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूचियों से हटाये गये हैं।

'वक्फ पर सुप्रीम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिनियम को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर सोमवार को कहा कि यह देश के लिए बहुत अच्छा निर्णय है। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र के लिए यह बहुत अच्छा संकेत है। कुछ लोग बिना वजह के संसद के निर्णय को चुनौती देते हैं। उन्होंने कहा कि संसद के अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती है। संसद में बने कानून के प्रावधान को लेकर चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शीर्ष अदालत में अधिनियम की मंशा और प्रावधान के बारे में बताया है। शीर्ष अदालत का फैसला लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून जब संसद में बनता है तब उस पर विस्तृत चर्चा की जाती है। वक्फ को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में सबसे लंबी चर्चा हुई थी। इतना गहरायी से चर्चा करने के बाद उसे खारिज नहीं किया जा सकता है यही उच्चतम न्यायालय ने साबित किया है।

प्रधानमंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। पूर्व महापौर ने सोमवार को बताया कि 16 सितंबर को स्कूल के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 15 होनहार मूक-बधिर छात्र-छात्राओं को हवाई जहाज से जयपुर ले जाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन बच्चों के हवाई यात्रा के सपने को साकार करने में हमें खुशी हो रही है। अग्रवाल ने बताया कि यात्रा से पहले बच्चों को सोमवार को हवाई टिकट और टी-शर्ट दी गई।

'आयकर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ऑडिट के दायरे में नहीं आते। इसमें मुख्यत: वेतनभोगी व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार और आईटीआर फॉर्म 1-4 के माध्यम से फाइल करने वाले छोटे व्यापारी शामिल हैं।

विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मज़बूत करता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करेगा और संविधान को बरकरार रखेगा।

कांग्रेस सांसद के. सी. वेणुगोपाल ने कहा कि अदालत के हस्तक्षेप ने सरकार की मंशा उजागर कर दी है।

वेणुगोपाल ने कहा, ''संसद में चर्चा के दौरान मैंने और कई विपक्षी सांसदों ने माँग की थी कि वक़्फ़ बनाने के लिए 5 साल से मुसलमान होने की अनिवार्यता हटाई जाए, कलेक्टरों को वक़्फ़ विवादों पर फ़ैसला करने का अधिकार न दिया जाए और ग़ैर-मुसलमानों को वक़्फ़ परिषद का सदस्य बनाने का प्रावधान भी हटाया जाए।''

उन्होंने आगे कहा, ''यह फ़ैसला इस सरकार के मुँह पर एक और करारा तमाचा है, जो सिर्फ़ संविधान को नष्ट करने पर तुली हुई है। उन्हें इस आदेश से सबक लेना चाहिए और इस क़ानून को तुरंत रद्द करना चाहिए।''

टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कमज़ोर मोदी गठबंधन को एक अहम् संदेश दिया है।

घोष ने कहा, ''वक़्फ़ संशोधन अधिनियम की दो सबसे विवादास्पद धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। डगमगाते हुए मोदी गठबंधन को एक महत्वपूर्ण संदेश गया है। जल्दबाज़ी में पारित यह क़ानून धर्म की स्वतंत्रता में दख़ल देता है और इस पर दोबारा विचार की ज़रूरत है।''

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, हमारी राय थी कि सरकार को वक़्फ़ में दख़ल नहीं देना चाहिए। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आगे भी न्याय करेगा

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने विश्वास जताया कि शीर्ष अदालत इस ज़ालिम क़ानून को पूरी तरह रद्द करेगी और संवैधानिक न्याय सुनिश्चित करेगी। इसके अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अंतरिम राहत से उनकी उम्मीद यक़ीन में बदल गई है कि न्याय अभी भी ज़िंदा है।

उन्होंने कहा कि जमीयत इस ''ज़ालिम क़ानून'' के रद्द होने तक अपनी क़ानूनी और लोकतांत्रिक लड़ाई जारी रखेगी।''

मदनी ने दावा किया, ''यह नया वक़्फ़ क़ानून संविधान पर सीधा हमला है, जो न सिर्फ़ नागरिकों और अल्पसंख्यकों को बराबरी का हक़ देता है बल्कि उन्हें पूरी धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। यह क़ानून मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनने की ख़तरनाक, असंवैधानिक साज़िश है।''

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैयद क़ासिम रसूल इलियास ने कहा, यह तकनीकी रूप से मुस्लिम समुदाय का मामला है। पहले कोई भी बोर्ड का सदस्य हो सकता था, लेकिन अब उनकी संख्या चार से ज़्यादा नहीं हो सकती। अदालत ने उस अपील को स्वीकार किया है, जिसमें कहा गया था कि सिर्फ़ वे लोग वक़्फ़ बना सकते हैं, जो पिछले पाँच साल से इस्लाम मान रहे हों।

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सोमवार को क़ानून की तीन विवादित धाराओं पर रोक लगाई।

जजों ने उस नियम को ख़ारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सिर्फ़ वही लोग संपत्ति को वक़्फ़ के नाम कर सकते हैं, जो पाँच साल से इस्लाम मान रहे हों। उन्होंने ज़िलाधिकारियों को वक़्फ़ से जुड़े विवादों पर फ़ैसला करने का अधिकार भी रोक दिया।

पीठ ने वक़्फ़ बोर्डों में ग़ैर-मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को सीमित कर दिया। इसके अनुसार, केन्द्रीय वक़्फ़ परिषद में 20 में से अधिकतम 4 और राज्य वक़्फ़ बोर्डों में 11 में से अधिकतम 3 सदस्य ग़ैर-मुसलमान हो सकते हैं।

नए वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के पारित होने के बाद कई लोगों ने इसे चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी कुछ अहम धाराओं पर रोक लगाए जाने से यह क़ानूनी लड़ाई अब दिलचस्प मोड़ ले चुकी है।

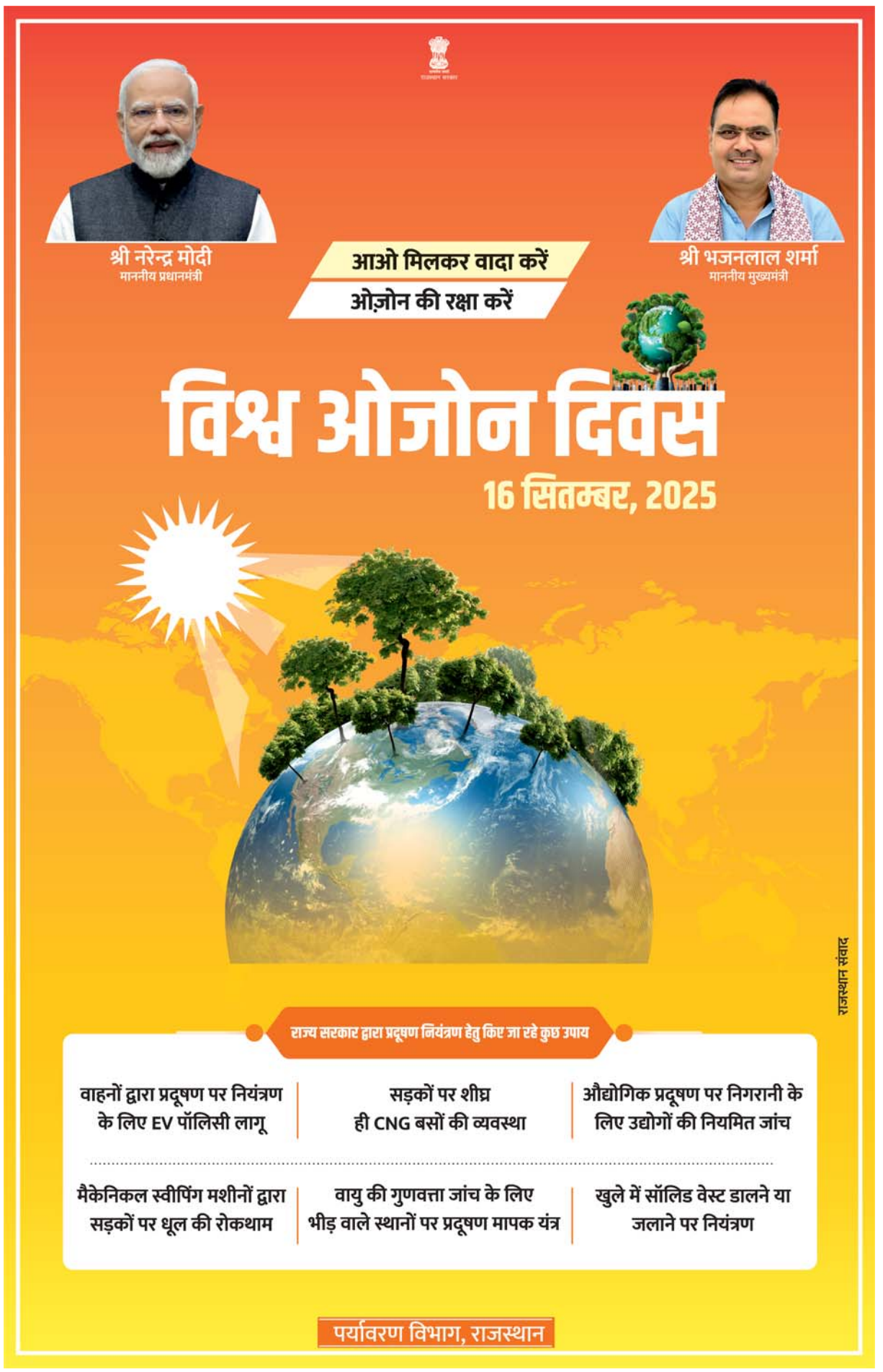

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:** राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908